न्यायालयः– अपर सेशन न्यायाधीश, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण राम बिश्नोई,(RJS)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
फौजदारी अपील संख्याः– 33/2023

प्रेमप्रकाश पुत्र कुनाराम, निवासी भाकरोद, पुलिस थाना खींवसर, जिला नागौर
–अपीलार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, जायल **–प्रत्यर्थी**

उपस्थितिः

1. श्री चंद्रशेखर दंतुसलिया, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक प्रत्यर्थी राज्य की ओर से

अपील अंतर्गत धारा 374 दण्ड प्रक्रिया संहिता विरूद्ध निर्णय व दण्डादेश दिनांक 11.11.2016 जो कि कालूराम(RJS), न्यायिक मजिस्ट्रेट, जायल(नागौर) द्वारा फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 236/2004 उनवानी सरकार बनाम प्रेमप्रकाश अपराध अंतर्गत धारा 19/54(क) राजस्थान आबकारी अधिनियम में पारित किया गया।

–ः निर्णय ः– दिनांकः– 15.04.2026

01– अपीलार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, जायल द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 11.11.2016 फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 236/2004 उनवानी सरकार बनाम प्रेमप्रकाश से व्यथित होकर पेश की गई है, जिसमें प्रत्यर्थी को अपराध अंतर्गत धारा 19/54(क) राजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाकर 03 वर्ष का साधारण कारावास एवं 20,000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

02– मूल रूप से यह अपील न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, नागौर के समक्ष पेश की गई। कालांतर में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, मेड़ता के आदेशानुसार हस्तगत अपील अंतरित होकर इस न्यायालय को दिनांक 15.05.2023 को प्राप्त हुई। जिस पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

03– प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.05.2004 को थानाधिकारी पालाराम स्वामी पुलिस थाना सुरपालिया को मौजा झाड़ेली से जरिये टेलीफोन अज्ञात व्यक्ति ने सूचना दी कि झाड़ेली के पास नागौर की तरफ एक स्पेशियों जीप शराब से भरी हुई पलट गई। मौके पर शराब बिखरी पड़ी है। इस सूचना पर थानाधिकारी पालाराम स्वामी मय हैड कानि. तेजाराम व कानि. रामदेव, हनुमानराम, ओमप्रकाश के सरकारी जीप चालक रामस्वरूप के थाना से रवाना होकर 7:00 PM पर मौजा झाड़ेली से नागौर जाने वाली सड़क पर पहुंचा तो एक जीप बिना नंबरी टाटा स्पेशियो बरंग सफेद पलटी हुई मिली, जिसके अंदर व आस पास शराब की बोतलें व पव्वे बिखरे हुए मिले व पास ही एक जीप डाला बॉडी बोलेरो कैंपर दुर्घटनाग्रस्त खड़ी मिली। पलटी हुई टाटा स्पेशियों जीप शराब में

सवार 04 व्यक्ति पास में बैठे हुए मिले। मौतबिरान श्रवणसिंह व भंवरलाल के रूबरू पलटी हुई शराब वाली जीप में सवार व्यक्तियों का नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम क्रमशः रामवीर, लाखाराम, राजाराम व जगदीश होना बताया। मौतबिरान के रूबरू जीप टाटा स्पेशियों बिना नंबरी की तलाशी ली तो जीप में अंग्रेजी शराब की बोतलें भरी हुई मिली, जिसका मुलजिमान रामवीर वगैरह से शराब कब्जा में रखना व परिवहन करने के लाइसेंस व परमिट के बारे में पूछा तो लाइसेंस व परमिट नहीं होना बताया। जिस पर शराब के पव्वों व बोतलों को कार्टूनों को जीप से बाहर निकालकर गिनती की गई तो केरोज हाईजीन के 48 कार्टूनों में कुल 2304 पव्वे शराब से भरे हुए मिले व दो कार्टूनों में कुल 22 बोतले बेगपाईपर की भरी हुई मिली। दो बोतलें टूटी हुई मिली। एक कार्टून में 10 बोतल शराब ग्रीन लेवल की भरी हुई मिली व दो बोतलें टूटी हुई मिली। उक्त शराब को कब्जा पुलिस लिया जाकर मौके पर शराब के सैंपल लिए जाकर आवश्यक कार्यवाही कर थाने पहुंचे.....**इत्यादि।**

04– उक्त रिपोर्ट पर थानाधिकारी पुलिस थाना सुरपालिया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट 16/2004 अंतर्गत धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता व 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अधीन दर्ज कर बाद अनुसंधान अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 19/54(क) राजस्थान आबकारी अधिनियम में पेश किया गया जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 19/54(क) राजस्थान आबकारी अधिनियम के अधीन प्रसंज्ञान लिया जाकर आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए गए।

05– अभियोजन साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पीडब्ल्यू 01 हीरालाल, पीडब्ल्यू 02 ओमप्रकाश, पीडब्ल्यू 03 रामदेव, पीडब्ल्यू 04 श्रवणसिंह, पीडब्ल्यू 05 भंवरलाल, पीडब्ल्यू 06 बिशनाराम, पीडब्ल्यू 07 बाबूलाल, पीडब्ल्यू 08 मांगीलाल, पीडब्ल्यू 09 तेजाराम, पीडब्ल्यू 10 पालाराम, पीडब्ल्यू 11 रणजीतसिंह, पीडब्ल्यू 12 गोपालसिंह को परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–18 प्रदर्शित करवाये गए।

06– अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किया कि वह निर्दोष है, झूठा फंसाया गया है तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

07– उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 11.11.2016 पारित कर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 19/54(क) राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से अपील प्रस्तुत की गई है।

08– अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश विधिक सिद्धांतों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी पर आरोपित अपराध के संबंध में कोई ऐसी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं थी कि जब्तशुदा पदार्थ शराब ही हो एवं एफएसएल रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं होने के बावजूद भी अपीलार्थी/अभियुक्त

को दोषसिद्ध करार दिए जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है। शराब की बरामदगी के संबंध में फर्द जब्ती के मौतबिरान द्वारा शराब की पूरी जानकारी होने से इनकार किया गया है तथा जांच अधिकारी ने भी जब्तशुदा पदार्थ के शराब होने के संबंध में कोई जांच–पड़ताल नहीं की, जिससे जब्तशुदा सामग्री शराब होना प्रमाणित नहीं होता है तथा ऐसी कोई जब्ती भी न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित नहीं हुई है। अपीलार्थी/अभियुक्त का प्रकरण से कोई सरोकार नहीं है, ना ही अपने किसी वाहन से शराब परिवहन की, ना ही मौके पर अपीलार्थी की उपस्थिति पायी गई है। इसके बावजूद केवलमात्र परिवहन विभाग से वाहन के स्वामित्व बाबत् जानकारी मिलने के आधार पर दोषसिद्ध घोषित किया गया है जबकि वक्त घटना वाहन अपीलार्थी के भौतक कब्जे में नहीं था, ना ही वास्तविक रूप से अपीलार्थी मालिक था तथा अपीलार्थी को मौके पर से भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। कथित वाहन से कोई शराब परिवहन नहीं हो रही थी एवं गवाहान के बयानों से मामला पूरी तरह से संदेहास्पद है तथा गवाहान के बयान विरोधाभासी है, जो अभियोजन कहानी को संदेहप्रद होना दर्शाते है, जिससे संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 पर अपीलार्थी के कहीं हस्ताक्षर नहीं है तथा रंजिशवश अपीलार्थी को झूठा आलिप्त करने का प्रयास किया है। अपीलार्थी के विरुद्ध पूर्व में दोषसिद्धि भी नहीं है। अंत में अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त/निरस्त किया जाकर मुलजिम को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

09– बहस अपील सुनी गई। मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया।

10– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त का दौराने बहस तर्क रहा है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान के बयानों में भयंकर विरोधाभास है। अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है, ना ही प्रश्नगत वाहन से जब्तशुदा सामग्री शराब होना प्रमाणित हुआ है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य सामग्री भी उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रकट होता है कि जब्तशुदा द्रव्य शराब हो। प्रकरण में अभियुक्त को मिथ्या आलिप्त किया गया है क्योंकि वक्त घटना अपीलार्थी/अभियुक्त मौके पर मौजूद ही नहीं था। इसके अलावा मात्र परिवहन विभाग के दस्तावेज के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है। अभियोजन ने ठोस साक्ष्य सामग्री से मुलजिमान के विरुद्ध मामला संदेह से परे साबित नहीं किया है। अंत में अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश जैर अपील विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त/निरस्त किया जाकर मुलजिम को दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

11– जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया गया है तथा इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 11.11.2016 अभिलेख पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का पूर्ण रूप से विवेचन, विश्लेषण एवं समीक्षा करते हुए पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर

खारिज किए जाने एवं आलौच्य निर्णय को पुष्ट किए जाने का निवेदन किया।

12– सुना गया। उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय, विचारण न्यायालय की मूल पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

13– इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिंदु है–

(1) क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय/आदेश दिनांक 11.11.2016 विधि विरूद्ध, मनमाना होने से अपास्त किए जाने योग्य है?

14– उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 11.11.2016 के संदर्भ में अभियोजन की ओर से 12 साक्षी पेश कर परीक्षित करवाये गए।

15– अभियोजन कहानी के अनुसार 17.05.2004 को लगभग 7:00 PM पर मौजा झाड़ेली की सरहदर में अभियुक्त के पंजीकृत स्वामित्व के वाहन टाटा स्पेशियों नंबर RJ–21–P–1286 में सह अभियुक्तगण द्वारा 48 कार्टून में 2304 पव्वे केरोज हाईजीन के, 02 कार्टून में 22 बोतल बेगपाइपर शराब और 01 कार्टून में 10 बोतल ग्रीन लेबल शराब का परिवहन किया गया। इस संबंध में प्रकरण के जब्तीकर्ता अधिकारी एवं परिवादी पीडब्ल्यू 10 पालाराम स्वामी द्वारा दिनांक 17.05.2004 को ग्राम झाड़ेली के पास नागौर की तरफ जाने वाली सड़क पर शाम करीब 06.30 बजे पहुंचने पर मौके पर एक टाटा स्पेशियो एवं एक बोलेरो कैंपर दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में पड़ी होना पाया जाने एवं टाटा स्पेशियो के आस पास शराब की बोतलें व पव्वे बिखरे मिलने, कुछ मात्रा शराब की टाटा स्पेशियो के अंदर मिलने तथा मौके पर रामवीर उर्फ राजू, लाखाराम, राजाराम तथा जगदीश उर्फ जगू का मौजूद मिलना बताया है। मौके पर बिखरी हुई शराब के संबंध में उक्त चारों व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उक्त शराब के स्वयं के कब्जे में रखने तथा उसके परिवहन से संबंधित अनुज्ञप्ति के बारे में उनके पास कोई दस्तावेज न होने पर शराब को जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 तथा टाटा स्पेशियो को जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी–7 बोलेरो को जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी–8 गवाह पीडब्ल्यू 04 श्रवणसिंह व पीडब्ल्यू 05 भंवरलाल की मौजूदगी में जब्त किया जाना बताया गया है।

16– प्रकरण में मौके पर से अन्य अभियुक्त रामवीर को जरिए फर्द प्रदर्श पी–9 तथा अभियुक्त लाखाराम को जरिए फर्द प्रदर्श पी–10 गिरफ्तार किए जाने का कथन किया है तथा अभियुक्त जगदीश व राजाराम देरी से गिरफ्तार किए जाने के संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि अभियुक्तगण जगदीश एवं राजाराम मौके पर घायल अवस्था में पाए गए थे जिसके कारण उन्हें अस्पताल भेज दिया गया था तथा उनका उपचार होने के बाद उन्हें 02 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्तगण की मौके पर मौजूदगी के संबंध में स्वयं जब्तीकर्ता की यह साक्ष्य रही है कि अभियुक्त वक्त घटना घायल अवस्था में था एवं दो दिन तक उसका अस्पताल में उपचार कराने के बाद उसे जरिए फर्द प्रदर्श पी–5 दिनांक 19.05.2004 को गवाह पीडब्ल्यू 11

रणजीतसिंह द्वारा गिरफ्तार किया गया था, किंतु अभियोजन की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि अभियुक्तगण जगदीश व राजाराम 02 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे हो। अभियोजन के पास इस तथ्य को साबित करने के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य अभियुक्तगण के अस्पताल में इलाज के दस्तावेज अथवा उनके चोट प्रतिवेदन थे, जिसे वे आसानी से प्राप्त कर प्रदर्शित करवा सकते थे, किन्तु अभियोजन पक्ष ऐसा करने में असफल रहा है जिससे जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा दी गई इस साक्ष्य पर संदेह उत्पन्न होता है कि जगदीश व राजाराम मौके पर मौजूद थे तथा वास्तव में उनकी मौके पर गिरफ्तारी न किए जाने का कारण उसका घायल अवस्था में होना एवं दो दिन अस्पताल में भर्ती होना था।

17– इसके अतिरिक्त मौके पर जब्तशुदा शराब एवं टाटा स्पेशियो वाहन को जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 तथा प्रदर्श पी–7 जब्त किया जाना जब्तीकर्ता अधिकारी पीडब्ल्यू 10 द्वारा बताया गया है। इस संबंध में यदि गवाह पीडब्ल्यू 03 रामदेव ने यद्यपि फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 पर अपने हस्ताक्षर होना एवं मौके पर ही टाटा स्पेशियो वाहन तथा शराब को जब्त किया जाना बताया गया है, किंतु इसी फर्द जब्ती के गवाह पीडब्ल्यू 04 श्रवण सिंह ने यह कथन किया है कि पुलिस थाना सुरपालिया ने 7–8 साल पूर्व शराब की भरी हुई गाड़ी जब्त की थी। शराब देशी थी अथवा अंग्रेजी, याद नहीं है। पुलिस ने फर्द बनायी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर कराए गए थे। लिखापढ़ी उसके सामने नहीं की थी। पुलिस ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी–7 पर भी उसके हस्ताक्षर कराए थे। फर्द जब्ती शराब प्रदर्श पी–2 तथा फर्द जब्ती वाहन प्रदर्श पी–7 के अन्य गवाह पीडब्ल्यू 05 भंवरलाल ने यद्यपि प्रदर्श पी–2 व प्रदर्श पी–7 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, किंतु इस संबंध में गवाह का मुख्य परीक्षण में ही यह कथन रहा है कि पुलिस ने 5–7 साल पहले शराब जब्त की थी तो आज उसे याद नहीं। आगे कथन किया कि गाड़ियां जब्त करनी चाहिए, आज उसे याद नहीं है। शराब देशी होनी चाहिए, उसे याद नहीं है। एक गाड़ी में शराब थी, दूसरी उसे पता नहीं है। ऐसे में उक्त दोनों गवाह जो कि स्वतंत्र गवाह के रूप में जब्ती की कार्यवाही में पीडब्ल्यू 10 जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा शामिल किए गए हैं। उक्त दोनों ही गवाहों ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 व प्रदर्श पी–7 पर अपने हस्ताक्षर होने के अतिरिक्त उक्त फर्द जब्ती को साबित नहीं किया है।

18– बरामदगी के मौतबीर पीडब्ल्यू 04 श्रवण सिंह ने गाड़ी टाटा की होना बताया है किंतु ना तो गाड़ी के नंबर अपने बयानों में बताए है, ना ही गाड़ी किस मॉडल की थी, इस बाबत् कोई कथन किए है। शराब देशी थी अथवा अंग्रेजी, इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर की है। इस साक्षी ने मौके पर अन्य कोई गाड़ी नहीं होना बताया है जबकि जब्तीकर्ता के अनुसार एक बोलेरो गाड़ी भी मौके पर थी। इस साक्षी ने मुलजिमान का नाम अपने बयानों में नहीं लिया है, ना ही गाड़ी के अंदर शराब होने बाबत् कथन किए है, ना ही गाड़ी के सड़क पर पल्टी खा जाने बाबत् कथन इस साक्षी के रहे है। इस साक्षी ने शराब की मात्रा, शराब की किस्म एवं शराब के ब्राण्ड, बरामदशुदा शराब में से सैंपल लेने आदि के संबंध में कोई कथन नहीं किए है।

19– बरामदगी के अन्य मौतबीर साक्षी पीडब्ल्यू 05 भंवरलाल ने 5–7 साल

पहले शराब बरामद होने एवं गाड़ियां जब्त करने बाबत् याद नहीं होने बाबत् कथन किए है। इस साक्षी ने फर्द जब्ती व फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त पर अपने हस्ताक्षर तो होने बताए है लेकिन शराब कहां से बरामद हुई, शराब कितनी मात्रा में व किस ब्राण्ड की थी, मौके पर कौन–कौन उपस्थित था, कौनसे वाहन से शराब बरामद हुई आदि तथ्यों बाबत् इस साक्षी के कोई कथन नहीं रहे है तथा जिरह में इस साक्षी ने फर्दात पर अपने हस्ताक्षर थाने पर करवाए जाने बाबत् कथन किए है।

20– इस प्रकार फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–2 में अंकित तथ्यों तथा जब्तीकर्ता पालाराम के कथनों की ताईद बरामदगी के दोनों मौतबिरान श्रवण सिंह व भंवरलाल द्वारा न्यायालय के समक्ष नहीं की गई है। अभियोजन कहानी के अनुसार मौके पर उपस्थित अन्य साक्षी पीडब्ल्यू 03 रामदेव ने भी एक ट्रक शराब की पल्टी खाकर गिरे होने बाबत् कथन किए है लेकिन इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में घटनास्थल पर चार आदमी होने बाबत् कथन किए है जबकि जिरह में छः आदमी मौके पर होने बाबत् कथन किए है। इस साक्षी ने इस बारे में भी अनभिज्ञता जाहिर की है कि राजाराम एवं जगदीश के पैदल चलते वाहनों द्वारा टक्कर मारी गई हो।

21– अभियोजन कहानी के अनुसार बरामदगी के समय मौके पर उपस्थित अन्य साक्षी पीडब्ल्यू 02 ओमप्रकाश ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पेशियो गाड़ी शराब की पल्टी खाए हुए पड़े होने बाबत् कथन तो किए है लेकिन इस साक्षी ने शराब बरामदगी बाबत् कथन नहीं किए है। किस ब्राण्ड की कितनी मात्रा में शराब बरामद की, इस बाबत् इस साक्षी के कोई कथन नहीं रहे है। इस साक्षी ने जामा तलाशी के दौरान एक पिस्टल बिना लाइसेंस बरामद किए जाने बाबत् कथन किए है लेकिन उक्त बरामदगी किस मुलजिम से की गई, इस बाबत् कोई कथन इस साक्षी के नहीं रहे है। इस साक्षी ने फर्द जब्ती पिस्टल प्रदर्श पी–1 पर अपने हस्ताक्षर होने बताए है जबकि प्रदर्श पी–1 फर्द वाहनों के मैकेनिकल मुआयना से संबंधित है। अतः इस साक्षी ने पुलिस मुलाजिम होते हुए भी अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है।

22– अभियोजन कहानी के अनुसार साक्षी पीडब्ल्यू 07 बाबूलाल को भी बरवक्त बरामदगी मौके पर उपस्थित होना बताया गया है। इस साक्षी ने स्पेशियो गाड़ी के अपनी गाड़ी से टकरा जाने, इस गाड़ी को रामकुंवार द्वारा चलाए जाने बाबत् कथन करते हुए उस गाड़ी में अंग्रेजी दारू बैग पाइपर व ग्रीन लेबल होने एवं राजाराम के गाड़ी छोड़कर भाग जाने, जगदीश के पास से एक पिस्टल बरामद होने बाबत् कथन किए है।

23– इस प्रकार इस साक्षी ने स्पेशियो गाड़ी को रामकुंवार द्वारा चलाए जाने बाबत् कथन किए है जबकि ऐसे कोई कथन किसी अन्य साक्षी के नहीं रहे है। इस साक्षी ने राजाराम को मौके से भाग जाने बाबत् कथन किए है जबकि ऐसे कोई कथन किसी भी अन्य साक्षी के नहीं रहे है। इस साक्षी ने मौके से कितनी मात्रा में शराब बरामद हुई, इस बाबत् कोई कथन नहीं किए है। इस साक्षी ने केवल बैग पाइपर व ग्रीन लेबल शराब बरामद होने बाबत् कथन किए है लेकिन केरोज ड्राइजीन बरामद होने बाबत् कथन इस साक्षी के नहीं रहे है। इस साक्षी ने जगदीश से एक पिस्टल बरामद होने बाबत् कथन किए है, जिसकी पुष्टि फर्द जब्ती व रोजनामचा से नहीं होती है।

24– साक्षी पीडब्ल्यू 08 मांगीलाल ने अपनी बोलेरो कैंपर गाड़ी ठेके पर किराये के हिसाब से लगाए जाने बाबत् कथन किए है। इस साक्षी ने अपनी गाड़ी, टाटा स्पेशियो गाड़ी से टकरा जाने, जगदीश के पास एक पिस्टल मिलने बाबत् कथन अवश्य किए है लेकिन किस मुलजिम के कब्जे से किस मात्रा में कितनी शराब बरामद की गई, उक्त शराब सड़क पर थी अथवा गाड़ी में थी, इस बाबत् इस साक्षी ने कोई कथन नहीं किए है। इस साक्षी ने बरामदशुदा शराब में से सैंपल निकाले जाने बाबत् भी कोई कथन नहीं किए है, ना ही इस साक्षी ने टाटा स्पेशियो गाड़ी के नंबर आदि अपने बयानों में बताए है।

25– इस प्रकार अभियोजन की ओर से पेश किये गए साक्षी श्रवण सिंह, भंवरलाल, रामदेव, ओमप्रकाश, बाबूलाल व मांगीलाल के बयानों में बरामदगी संबंधी तात्विक तथ्यों को लेकर भयंकर विरोधाभास है। परीक्षित साक्षियों में से अधिकांश साक्षियों ने बरामदशुदा शराब अंग्रेजी थी अथवा देशी थी, इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर की है। शराब गाड़ी के अंदर थी अथवा बाहर थी, किस ब्राण्ड की कितनी शराब थी, पव्वों एवं बोतलों की संख्या कितनी थी, मौके से बरामदशुदा शराब में से सैंपल लिये गए अथवा नहीं लिये गए, वाहन दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में पड़ा था अथवा नहीं, जगदीश एवं लाखाराम की मौके से गिरफ्तारी हुई अथवा नहीं, मौके पर उपस्थित लोगों की संख्या कितनी थी, मौके पर मुलजिमान के अलावा अन्य व्यक्ति मौजूद थे अथवा नहीं आदि तथ्यों को लेकर अभियोजन गवाहान के बयानों में भयंकर विरोधाभास है।

26– साक्षी ओमप्रकाश व बाबूलाल ने मुलजिम से पिस्टल बरामद होने बाबत् कथन किए है जबकि ऐसे कोई तथ्य फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 व रोजनामचा रपट प्रदर्श पी–16 में अंकित नहीं है, ना ही किसी मुलजिम के विरुद्ध आयुध अधिनियम के तहत आरोप पत्र पेश किया गया है। अतः पिस्टल बरामद भी हुई अथवा नहीं एवं किस व्यक्ति से बरामद हुई, इस संबंध में भी अभियोजन साक्षियों के बयानों में विरोधाभास है।

27– अतः ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन साक्षियों के बयानों में घटना एवं बरामदगी संबंधी तात्विक तथ्यों को लेकर भयंकर विरोधाभास है। बरामदगी की ताईद बरामदगी के दोनों गवाहान श्रवण सिंह व भंवरलाल द्वारा नहीं की गई है। घटनास्थल पर दुर्घटनाग्रस्त टाटा स्पेशियो के अलावा अन्य वाहन भी पड़ा था एवं मुलजिमान के अलावा अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति भी मौके पर बतायी गई है। अतः मुलजिमान के ही संज्ञान एवं आधिपत्य से शराब बरामद हुई हो, यह तथ्य संदेहास्पद हो जाता है।

28– इसके अतिरिक्त यदि यह तथ्य मान भी लिया जाए कि मौके पर से गवाह पीडब्ल्यू 03 रामदेव तथा पीडब्ल्यू 10 पालाराम स्वामी की साक्ष्य के मुताबिक शराब व टाटा स्पेशियो गाड़ी जब्त की गई थी तो भी उक्त फर्द जब्ती को साबित करने के लिए अभियोजन के पास फर्द जब्ती के माध्यम से जब्त की गई शराब तथा वाहन को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था अथवा उक्त शराब एवं वाहन का थाने पर तैयार किया गया पंचनामा पेश कर साबित किया जाना आवश्यक था, किंतु दौराने विचारण न तो अभियोजन की ओर से प्रकरण में जब्त की गई शराब को, न ही

जब्तशुदा वाहन टाटा स्पेशियों को भौतिक रूप से पेश कर जब्ती को साबित किया गया है, ना ही इस संबंध में बनाए गए पंचनामें संबंधी कोई दस्तावेज पेश किए गए हैं। ऐसे में फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 की संपुष्टि करने वाले भौतिक साक्ष्य (शराब एवं वाहन) को पेश नहीं किए जाने के कारण प्रदर्श पी–2 के माध्यम से की गई जब्ती की कार्यवाही पर संदेह उत्पन्न होता है जिसका कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है, ना ही इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने के समय गौर किया गया है।

29– इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा न्याय दृष्टांत कुलदीप प्रसाद बनाम बिहार राज्य Criminal App. (SJ) No. 527/2002 में भी यही मत व्यक्त किया गया है कि यदि अभियोजन की ओर से जब्ती के साक्षियों की मौखिक साक्ष्य को स्वीकार कर भी लिया जावें तो भी यह सिर्फ एक फर्द है एवं उक्त फर्द को साबित करने हेतु जब्तशुदा माल को पेश नहीं किया जाना अभियोजन के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

30– अपीलार्थी की ओर से अपील मीमो में यह भी अंकित किया गया है कि प्रकरण में जब्तशुदा पदार्थ के शराब होने बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा जिस एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया है, वह एफएसएल रिपोर्ट न तो विचारण के प्रक्रम पर अभियोजन की ओर से प्रदर्शित करवायी गई है, ना ही इस संबंध में अपीलार्थी का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किए गए कथनों में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है। ऐसे में उक्त एफएसएल रिपोर्ट के अभाव में अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना पूर्णतया विधि के प्रतिकूल है। अपीलार्थी अधिवक्ता की ओर से उठाए गए उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं आक्षेपित निर्णय का अवलोकन करने पर यह दर्शित हुआ है कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 जब्तशुदा माल के संबंध में कोई एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्शित नहीं करवायी गई है। यद्यपि इस संबंध में गवाह पीडब्ल्यू 06 यह कथन करता है कि नागौर एसपी कार्यालय से एफएसएल जोधपुर शराब का नमूना सेंपल लेकर वह गया था जो एसपी ऑफिस से अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–11 जारी करवाकर ले जाया गया था एवं उसने नमूना सैंपल एफएसएल जोधपुर में जमा करवाकर रसीदे प्रदर्श पी–12 प्राप्त की थी। प्रकरण के जब्तीकर्ता अधिकारी पीडब्ल्यू 10 ने इस संबंध में मालखाने से उक्त गवाह को नमूना प्रदत्त करने एवं जमा कराने संबंधी रोजनामचा रपट प्रदर्श पी–18 को प्रदर्शित करवाया गया है। किन्तु उक्त जब्तशुदा नमूना के संबंध में एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त की गई हो, ऐसा कोई कथन पीडब्ल्यू 10 द्वारा नहीं किया गया है, ना ही ऐसी कोई एफएसएल रिपोर्ट अभियोजन की ओर से प्रदर्शित करवायी गई है एवं विचारण न्यायालय द्वारा एफएसएल रिपोर्ट पर निष्कर्ष दिए बिना अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषसिद्ध किया है, किंतु इस संबंध में न्यायालय का मत यह है कि यद्यपि एफएसएल रिपोर्ट धारा 293 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत एफएसएल रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारी की साक्ष्य के बिना भी साक्ष्य में पढ़ी जा सकती है, किन्तु उक्त एफएसएल रिपोर्ट को प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा इस संबंध में न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट को

प्रदर्शित करवाकर इस तथ्य बाबत कथन किया जाना आवश्यक है। यदि एफएसएल रिपोर्ट पर विचारण के दौरान प्रदर्शित नहीं करवायी गई है तथा इस बारे में अभियुक्त/अपीलार्थी से उसके विरूद्ध अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दोषलिप्तकारी परिस्थितियों के संबंध में धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन लेखबद्ध कथनों में कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया गया है, तब ऐसी एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत छोटूकुमार उर्फ छोटे फौजी बनाम स्टेट गर्वनमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली Criminal Appeal No. 331/2017 निर्णय दिनांक 27.01.2021 तथा न्याय दृष्टांत धर्मपाल व अन्य बनाम स्टेट Criminal App. No. 140/1999 निर्णय दिनांक 28.07.2011 में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है।

31- ऐसे में विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्टतया साबित है कि अपीलार्थी/अभियुक्त की प्रकरण में संलिप्तता का तथ्य अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया है, ना ही अभियोजन द्वारा प्रकरण में जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 के माध्यम से जब्तशुदा द्रव्य तथा प्रदर्श पी–7 के माध्यम से जब्तशुदा वाहन टाटा स्पेशियो को न्यायालय के समक्ष भौतिक रूप से पेशकर उक्त फर्दों में अंकित तथ्यों तथा उक्त फर्दों के साक्षियों के द्वारा दी गई मौखिक साक्ष्य की संपुष्टि की गई है। गवाह पीडब्ल्यू 04 श्रवण सिंह व पीडब्ल्यू 05 भंवरलाल की साक्ष्य भी उक्त दोनों फर्दों में अंकित तथ्य के संबंध में पुष्टिकारक नहीं रही है। प्रकरण में प्रदर्श पी–2 जब्ती के माध्यम से जब्तशुदा द्रव का शराब होना भी अभियोजन साबित करने में असफल रहा है।

32- अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि बरामदगी के समय अपीलार्थी/अभियुक्त घटनास्थल/बरामदगीस्थल पर उपस्थित नहीं था। बरामदगी को अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है तथा जब्तशुदा बोतलों एवं पव्वों में शराब हो, यह तथ्य भी एफएसएल रिपोर्ट के अभाव में युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है। बरवक्त बरामदगी वाहन मुलजिमान के कब्जे में किस प्रकार आया, इस संबंध में कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है। उक्त वाहन सह अभियुक्तगण को विक्रय किया गया था अथवा अपीलार्थी/मुलजिम की जानकारी में उक्त वाहन का प्रयोग सह अभियुक्तगण द्वारा किया जा रहा था, इस संबंध में भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। बरामदशुदा द्रव्य का मुलजिम से कोई संबंध स्थापित करने वाली भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। मुलजिम को इस तरह के बरामदशुदा द्रव्य के परिवहन अथवा कब्जे में रखने की जानकारी रही हो, ऐसा कोई तथ्य भी पत्रावली पर नहीं है।

33- चूंकि अपीलार्थी/अभियुक्त मौके पर उपस्थित नहीं था एवं सह अभियुक्तगण राजाराम, लाखाराम व जगदीश का सज्ञान आधिपत्य बरामदशुदा द्रव्य पर हो, यह तथ्य भी साबित नहीं हुआ है। अतः ऐसी परिस्थितियों में केवल वाहन का पंजीयन अपीलार्थी/अभियुक्त के नाम हो जाने से यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी/अभियुक्त के ज्ञान में रहते हुए बरामदशुदा द्रव्य का परिवहन सह

अभियुक्तगण द्वारा किया जा रहा हो।

34- अतः ऐसी परिस्थितियों में धारा 19/54(क) राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत अपीलार्थी/अभियुक्त पर साबित करने का भार तभी होता जब अभियोजन यह साबित कर देता कि सह अभियुक्तगण राजाराम, लाखाराम व जगदीश के आधिपत्य से शराब की बरामदगी हुई है। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा द्रव्य शराब हो, यह तथ्य स्थापित नहीं हुआ है। अतः ऐसी परिस्थितियों में अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

35– इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटियों से ग्रस्त है तथा उक्त निर्णय व दण्डादेश विधि विरुद्ध होने से अपास्त किए जाने योग्य है। ऐसी परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय व दण्डादेश अपास्त किया जाकर अपीलार्थी/अभियुक्त प्रेमप्रकाश को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19/54(क) राजस्थान आबकारी अधिनियम संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाने पर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है एवं अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किए जाने योग्य पायी जाती है।

◌:: <u>आदेश</u> ◌::

36– परिणामस्वरूप अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 33/2023 स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, जायल द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 11.11.2016 को तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटियों से ग्रस्त होने व विधि विरुद्ध होने से अपास्त किया जाकर अपीलार्थी/अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19/54(क) राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

37– अभियुक्त धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 20,000/– रूपये की जमानत एवं इसी आशय का बंध पत्र पेश कर तस्दीक करावें।

38– निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें।

(लक्ष्मण राम बिश्नोई)
अपर सेशन न्यायाधीश,
जायल(नागौर)

39– निर्णय आज दिनांक **15.04.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(लक्ष्मण राम बिश्नोई)
अपर सेशन न्यायाधीश,
जायल(नागौर)